मिठन 1/2020 अन्वान ल(को/ज(लोकेश(2)वेणुलता

35/2024

पत्रावली पेश हुई। **अप्रार्थीगण अनुपस्थित।** अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 3 की ओर से श्री **दीनदयाल सोनी** एडवोकेट उपस्थित। अप्रार्थीगण 1 से 3 की ओर से जर्ये वकील खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) श्री रॉयल गोल्ड घी का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी 1. लोकेश कुमार राठौर पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद उम्र 29 वर्ष जाती राठौर निवासी– बस स्टैण्ड के पास, कैथून जिला कोटा विक्रेता एवं खाद्य करोबारकर्ता, मैसर्स–इन्दौरा ट्रैडिंग कम्पनी, बस स्टैण्ड के पास, सांगोद रोड, कैथून जिला कोटा पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये)** 2. वैणुलता राठौर पत्नि **रघुवीर प्रसाद राठौर उम्र 62 वर्ष जाती–राठौर, निवासी–बस स्टैण्ड के पास, कैथून जिला कोटा मालिक, मैसर्स–इन्दौरा ट्रैडिंग कम्पनी, बस स्टैण्ड के पास, सांगोद रोड, कैथून जिला कोटा पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) 3. विशराम पुत्र श्री रतन लाल निवासी 181 कन्या शला के पास, रहलाना, तह. दूदू जिला जयपुर मालिक, मैसर्स– राज श्री प्रोडक्ट, नसीराबाद बायपास रोड़, नयागांव, किशनगढ़, अजमेर, राज0 पर 15000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **गोविन्द सहाय गुर्जर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति. जिला कलक्टर
कोटा